मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 153/2022

1. गुरचरण सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. सुखपाल कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी जीत सिंह जाति जट सिख निवासी डबलीखुर्द हाल 11–12 एस.एल.डब्लयू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुखजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. हरदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 30.04.2024

वादी की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.4.2024 को स्वाति गुप्ता आर ए एस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर 5 ए.जी. के खाता संख्या 23/80 की कुल 4.048 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्सा अर्थात 1.012 हैक्टर आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 5 ए.जी. के खाता संख्या 23/80 में से सुखपाल कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:51 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
दूदू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
... के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
... के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
... के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
... के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
... की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
... की तामिल	– –		
	– –	योग	– –

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner